

सि० न० ५०/२०१९

शिक्षण विभाग, डालका

6/11/2024

वकील प्रार्थी अशुपस्थित। टेलीफोन अड्डा
प्रार्थी व वकील प्रार्थी को रूक रूक
के आवाजे पिलाने गई। आवाजे पिलाने
प्रार्थी के बावजूद अशुपस्थित। अशुपस्थित
अपम पेटकी अपम दृष्टि से वारिष्ठ
किमा जाता है। पत्रावली नम्बर ले
कम की जाकर नए तकमिल पासिल
पुनः लें।

अति. जिला कलक्टर
कोटा